दिनांक 12.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 13/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजीपुर/थाना मुहम्मदाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 12.07.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर युसुफपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मा0 न्यायालय से निर्गत वारन्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुरेन्द्र निवासी वार्ड नं0–17 युसूफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 03 लैपटॉप**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.07.2024 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–41 के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान

से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दीपक उर्फ मनीष 2–इम्तियाज उर्फ अरमान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 08 हजार रूपये नगद, चोरी के 03 लैपटॉप, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दीपक उर्फ मनीष के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में 50 अभियोग एवं अभियुक्त इम्तियाज उर्फ अरमान के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में 32 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद लैपटॉप, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दीपक उर्फ मनीष निवासी हरिकेश नगर फेस–1 ओखला दिल्ली मूलपता सेक्टर–11 राजामण्डी कमिश्नरेट आगरा।

2–इम्तियाज उर्फ अरमान निवासी सूर्या विहार सेहतपुर पल्ला फरीदाबाद हरियाणा, मूलपता सिवान बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 08 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के 03 लैपटॉप।

3–घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 महिन्द्रा एक्सयूवी कार**
- **05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 11/12.07.2024 की रात्रि थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम विज्ञाना नहर पटरी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–एजाज 2–गुलजार 3–शौकत घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4–भूरा 5–सोनी सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 महिन्द्रा एक्सयूवी कार, 05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गुलजार के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग व अभियुक्त शौकत के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–एजाज निवासी ऊंचा सद्दीक नगर भूमिया का पुल लिसाडी गेट, मेरठ।

2–गुलजार निवासी नगला रियावली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

3–शौकत निवासी नगला रियावली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

4–भूरा निवासी श्यामनगर लिसाडीगेट जनपद मेरठ।

5–सोनी निवासी नगला रियावली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 महिन्द्रा एक्सयूवी कार।

2—05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 11/12.07.2024 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डिगडेरा रोड गैस एजेन्सी के पास रजवाहे पुलिया से चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—इरफान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—आशु उर्फ आसमोहम्मद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरफान निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2—आशु उर्फ आसमोहम्मद निवासी ग्राम बेगी नाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 12.07.2024 को थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिचपुरी नहर के पास से अभियुक्त अमन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 06 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना जगदीशपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी गणेशनगर नगला बूढी थाना न्यू आगरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 06 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

➢ **जनपद जालौन/थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 394/302/34/120बी/411

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अनुराग उर्फ अंशु 2–कृष्णा 3–अनुपम उर्फ बाबा 4–शशांक उर्फ लालू 5–ज्ञानप्रकाश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली तीतरों (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली तीतरों पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शोएब को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महराजगंज/थाना परसामलिक (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना परसामलिक पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शम्भू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बांसडीह रोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिन्टू कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना हैदरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामअवध को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।